संख्या-56/2024/129/22-2-2024-17(149)/2024

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 जून, 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हुकुम सिंह पुत्र श्री काशीराम, निवासी जनपद-एटा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1603/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04.01.2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हुकुम सिंह पुत्र श्री काशीराम, नगला नाला, थाना-सहावर, जनपद-एटा का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 04/05.01.1981 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमन्चा से गोली से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-338/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 06.11.1981 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 31.08.2012 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेश दिनांक 18.02.2013 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है । बन्दी द्वारा दिनांक 04.12.2023 तक अपरिहार 11 वर्ष 04 माह 17 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष 03 माह 27 दिन की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, एटा द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, समयपूर्व रिहा होने पर पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, बंदी को आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्या में उल्लिखित किया गया है कि जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा दिनांक 04.12.2023 तक अपरिहार 11 वर्ष 04 माह 17 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष 03 माह 27 दिन की भोगी गयी सजा, बंदी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (02 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हुकुम सिंह (बन्दी संख्या-26351) पुत्र श्री काशीराम, निवासी जनपद-एटा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-56/2024/129(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को क्रिमिनल मिस0 रिट पिटीशन सं0-11510/2023 खयालीराम पाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2023 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।